## <u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आप.प्रकरण क्र. 457 / 98</u>

संस्थित दि: 17/07/98

अभियोगी

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर, अन्तर्गत चौकी उकवा जिला बालाघाट (म.प्र.)

#### विरुद्ध

महिपाल उर्फ लोकू पिता किसन मरार, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम पिपरिया थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपी

### —:<u>: निर्णय :</u>:--

# <u>(आज दिनांक–03/11/2014 को घोषित किया गया)</u>

- (01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 29.05.98 को रात्रि के समय स्थान उकवा थाना रूपझर में रामाजी के होटल, जो सम्पित्त की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं एक लोहे की कढ़ाई 250/— रूपये की चुराकर चोरी कारित की।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामाजी ने चौकी उकवा में दिनांक 31.05.98 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 29.05.98 रात्रि के 09:00 बजे होटल बंद करके घर चला गया होटल के बाहर नौकर कालू सोया था सुबह होटल आया तो होटल के पीछे का फाटक खुला था अन्दर जाकर देखा तो एक लोहे की कढ़ाई नहीं थी। नौकर कालू से पूछने पर उसने बताया कि रात्रि के करीब 09:30 बजे महिपाल मरार आया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी महिपाल के विरुद्ध पु लिस चौकी उकवा में अपराध क्रमांक 0/98 अन्तर्गत धारा— 457, 380 भा.दं.वि. का अपराध कायम कर, थाना रूपझर में असल नम्बरी पर

पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 119 / 98 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. के अन्तर्गत लेखबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

- आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की (03)धारा 457, 380 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।
- आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने शंका के आधार पर (04)उसके विरूद्ध पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराकर उसे फंसाया है।
- आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु (05)विचारणीय है
  - क्या आरोपी ने दिनांक 29.05.98 को रात्रि के समय स्थान रामा होटाल उकवा थाना रूपझर में रामाजी के होटल, जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
  - क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी (ৰ) राजाजी की एक लोहे की कढाई 250 / चुराकर चोरी कारित की ?

# —::<u>सकारण निष्कर्ष</u>ि

# विचारणीय बिन्दू कमांक 'अ' एवं 'ब' :-

- प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों (06)की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ' एवं 'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है।
- अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता फूलचंद तलवरे (अ.सा.०४) का कहना है (07)कि उसने दिनांक 31.05.1998 को पुलिस चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर

कार्यरत् रहते हुए फरियादी रामाजी निवासी उकवा की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 0/98 दर्ज असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जो प्रदर्श पी-01 है। असल अपराध क्रमांक 119 / 98 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी रामाजी एवं गवाह जीवन पन्द्रे के समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। प्रार्थी रामाजी गवाह दुर्गा प्रसाद, अशोक कुमार, सुखलाल, के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। समक्ष गवाहों के आरोपी महिपाल का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी महिपाल मरार से एक नग लोहे की कढ़ाई जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-07 तैयार किया था।

- किन्तु अभियोजन साक्षी / फरियादी रामाजी (अ.सा.०1) का कहना है कि (80)वह आरोपी को नहीं जानता है। 15–16 साल पहले बस स्टेण्ड उकवा उसके होटल से एक लोहे की कढ़ाई चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में की थी जो प्रदर्श पी-01 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में यह बताया है कि उसने चोरी की रिपोर्ट थाने में नहीं की थी। उसने प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-3 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे और वह आरोपी को भी नहीं जानता है।
- इसी प्रकार अभियोजन साक्षी अशोक कुमार (अ.सा.02) का भी कहना है (09)कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने आरोपी महिपाल से कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने आरोपी महिपाल से पुलिस ने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और न ही जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी राघव प्रसाद (अ.सा.०५) का कहना है कि उसके सामने शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-08 पर प्रार्थी रामाजी की चोरी हुई कढ़ाई के संबंध में कोई शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी जगदीश (अ.सा. 03) का भी कहना है कि घटना कितने वर्ष पुरानी है ALLANDIA.

उसे जानकारी नहीं है।

- आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने पुलिस से मिलकर झूठी रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई थी। अभियोजन साक्षी / फरियादी रामाजी (अ.सा.०1), अशोक चौहान (अ.सा.०२), फूलचंद (अ.सा.०३), राघव प्रसाद (अ.सा.०५) ने विवेचनाकर्ता फूलचंद तलवरे (अ.सा.०४) के कथनों का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं साक्षी / फरियादी रामाजी (अ.सा.०1), अशोक चौहान (अ.सा.०2), फूलचंद (अ.सा.०३), राघव प्रसाद (अ.सा.०५) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अतः अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।
- आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया। (11)
- अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता फूलचंद तलवरे (अ.सा.०४) का कहना है (12) कि उसने दिनांक 31.05.1998 को पुलिस चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुए फरियादी रामाजी परवार निवासी उकवा की रिपोर्ट पर से अपराध कमांक 0/98 दर्ज असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जो प्रदर्श पी-01 है। असल अपराध क्रमांक 119 / 98 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की विवेचना के दौरान उसने घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी रामाजी एवं गवाह जीवन पन्द्रे के समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। प्रार्थी रामाजी परवार गवाह दुर्गा प्रसाद, अशोक कुमार, सुखलाल, के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। समक्ष गवाहों के आरोपी महिपाल का मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-04 तैयार किया था। आरोपी महिपाल मरार से एक नग लोहे की कढ़ाई जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-07 तैयार किया था।
- किन्तु अभियोजन साक्षी / फरियादी रामाजी परवार (अ.सा.०1) का कहना है (13) कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसके कथन से 15-16 साल पहले बस स्टेण्ड उकवा उसके होटल से एक लोहे की कढ़ाई चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में की थी जो प्रदर्श पी-01 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है ।
- इसी प्रकार अभियोजन साक्षी अशोक कुमार (अ.सा.०२) का भी कहना है (14)

कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने आरोपी महिपाल से कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-04 पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने आरोपी महिपाल से पुलिस ने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और न ही जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 पर उसके हस्ताक्षर है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी राघव प्रसाद (अ.सा.०५) का कहना है कि उसके सामने शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी-08 पर प्रार्थी रामाजी की चोरी हुई कढ़ाई के संबंध में कोई शिनाख्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा इसी प्रकार अभियोजन साक्षी जगदीश (अ.सा. 03) का भी कहना है कि घटना कितने वर्ष पुरानी है उसे जानकारी नहीं है।

- 💫 अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी महिपाल मरार ने (15) दिनांक 29.05.98 को रात्रि के समय स्थान रामा होटाल उकवा थाना रूपझर में रामाजी के होटल, जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं एक लोहे की कढ़ाई कीमती 250/— रूपये की चुराकर चोरी कारित की ऐसा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से परिलक्षित नहीं होता। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता के कथन तथा अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है।
- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 29.05.98 को रात्रि के समय स्थान रामा होटाल उकवा थाना रूपझर में रामाजी के होटल, जो सम्पत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग में आता है, सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं एक लोहे की कढ़ाई 250/— रूपये की चुराकर चोरी कारित की।
- परिणाम स्वरूप अभियोजन का प्रकरण संदेहास्पद प्रतीत होता है। आरोपी (17) महिपाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के आरोप में दोषी न पाते हुए WIND THE STATE OF THE STATE OF

दोषमुक्त किया जाता है।

- प्रकरण में आरोपी महिपाल मरार के मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। (18)
- प्रकरण में जप्तशुदा एक नग लोहे की कढ़ाई उसके स्वामी रामाजी पिता (19) मानिक प्रसाद को अपील अवधि पश्चात् वापस की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

ALIMON PAREND ALIMAN STREETS AND ALIMAN PROPERTY OF THE PAREND ALIMAN PROPERTY OF THE PAREND AND ALIMAN PROPERTY AND ALIMAN PROPERTY OF THE PAREND AND ALIMAN PROPERTY OF THE PA

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म०प्र०)